न्यायालयः अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी–खीरी।

उपस्थित– रजत प्रकाश सोन (उ०प्र० न्यायिक सेवा) (जे०ओ० कोड–UP 3725)

फौजदारी मुकदमा संख्या–6316/2024

कम्प्यूटर पंजीकरण सं०–84/2020

CNR No.–UPLP 1200 0850 2020

सरकार

बनाम

आसीन उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र अनवर निवासी अन्तखारी, थाना–पसगवां, जिला–लखीमपुर खीरी।

मु०अ०सं०–254/2010
अं०धारा–4/25 आयुध अधिनियम
थाना–पसगवां, जिला–खीरी।

अभियोजन की ओर से ..... विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्री अतुल कुमार मिश्रा।
बचावपक्ष की ओर से ..... विद्वान अधिवक्ता श्री मो० तौसीफ खाँ।

क्र०सं०	दिनांक	घटना/कार्यवाही
1.	18.02.2010	घटना
2.	18.02.2010	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3.	07.09.2010	आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया
4.	21.04.2011	अभियुक्त पर आरोप विरचित किया गया
5.	09.12.2025	बयान अभियुक्त अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित
6.	20.05.2026	अंतिम बहस
7.	03.06.2026	निर्णय

निर्णय

पुलिस थाना–पसगवां, जिला–खीरी द्वारा मु०अ०सं०–254/2010 अन्तर्गत धारा–4/25 आयुध अधिनियम के अधीन अभियुक्त आसीन के विरुद्ध आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि "दिनांक 18.02.2010 को मैं एस०आई० गजेश कुमार मय हमराही का० 460 सुनील कुमार, का० 517 जगदीश चौधरी व का० 348 मुमताज अहमद के चौकी उचौलिया से रवाना होकर तलाश वारण्टी/वांछित अपराधी व रात्रि रोड गस्त में मामूर होकर राष्ट्रीय राजमार्ग से जैसे ही मोहद्दीनपुर चौराहा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचा तो मोटर साइकिलों तथा आने जाने वाले वाहनों की लाइट की रोशनी में मोहिद्दीनपुर चौराहे के दक्षिणी किनारे पर दो व्यक्ति खड़े दिखाई दिए जिनके नजदीक जाने पर मोटर साइकेलं रोकी तो पहले तो हमराही की तरफ तेजी से बढ़े, परन्तु जैसे ही टार्च की रोशनी डालकर रोका व टोका तो अचानक हम पुलिस वालों को देखकर हड़बड़ा कर पीछे मुड़कर यह कहते हुए कि भागो ये तो पुलिस वाले है।

चौराहे से सौनोवा जाने वाली पिंक रोड पर भागे शक होने पर तत्परता से मोटर साइकिलें वहीं छोड़कर हमराहियान की मदद से टार्चों की रोशनी डालते हुए दौड़ाकर व घेर–घार कर पुलिस ट्रेनिंग का फायदा उठाते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर चौराहे से करीब 100 कदम की दूरी पर दोनों व्यक्तियों को समय करीब 03:40AM पर पकड़ लिया गया। पकड़े गए दोनों व्यक्तियों के नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम गुड्डी उर्फ बलवन्ते पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम अन्तरखारी सुनौरिया थाना पसगवां जिला खीरी बताया, जिसकी जामा तलाशी से पहने पेंट की दाहिनी फेट में खुशा हुआ एक अदद देशी तमंचा 12 बोर जिसकी नाल लोहे की लं० करीब नौ अंगुल वाडी लोहे की लं० छः अंगुल वट लोहे का लं०करीब पांच अंगुल जिस पर दोनों ओर से लकड़ी की चाप रिपिट के सहारे लगी है। नाल को खोलने व बंद करने के लिए नाल के ऊपर की ओर लोहे की एक स्प्रिंगदार पत्ति लगी है। ट्रैगर व ट्रेगर गार्ड व हेमर लगा हुआ चालू हालत में बरामद हुआ तथा पहने पेंट की दाहिनी जेब से दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर जिनका रंग बादमी व पेंदी पीतल की एक नंबर के बरामद हुए तथा दूसरे ने अपना नाम आसीन पुत्र अनवर निवासी ग्राम अन्तरखारी सुनौरिया थाना पसगवां जिला खीरी बताया जिसकी जामा तलाशी से उसके दाहिने हाथ में लिए हुए एक अदद तलबार जिसका वट लोहे का लंबाई करीब दो बालिस्त आठ अंगुल व मूठ लोहे की लं०करीब सात अंगुल मुठ पर दोनों ओर लकड़ी की चाप एक ही रंग के कपड़े से लिपटी हुई धागे से बंधी हुई लगी है, बरामद हुई। बरामद तमंचा, कारतूस व तलवार के सम्बन्ध में लाइसेंस तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहे तथा यह कहते हुए माफी मांगने लगे कि साहब बहुत गरीब आदमी हैं, आने–जाने वाले राहगीरों से रुपया छीनकर रोटी कपड़े का इन्तजाम करने के लिए खड़े हुए थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिये गए, माफ कर दीजिए, आइन्दा कभी ऐसा नहीं करेंगे। अतः दोनों व्यक्तियों को विधिवत उनके जुर्म से अवगत कराते हुए अं०धारा 3/25 A.Act व 4/25 A.Act हिरासत पुलिस में लिया गया। घटना अचानक नावक्त हुई राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले वाहनों को रोककर कारण बताकर गवाही हेतु कहा गया परन्तु भलाई बुराई को कहकर जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही हेतु तैयार नहीं हुआ। बरामद तमंचा व कारतूस, एक कपड़े में तलवार रखकर सील कर सर्व मुहर कर टार्च की रोशनी में मौके पर ही अलग–अलग अनमूना मोहर तैयार किया गया। अभियुक्तों के गिरफ्तारी की सूचना दोनों को अकब से दी जाएगी। दौरान गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का पालन किया गया। गिरफ्तारी प्रपत्र व फर्द बरामदगी मौके पर ही मुझ एस०आई० द्वारा टार्च की रोशनी में लिखकर पढ़कर व सुनाकर सभी सम्बन्धित के अलामात बनवाये जा रहे हैं।"

विवेचक द्वारा घटना की विवेचना ग्रहण कर गवाहन के बयानात अंकित किए गए एवं घटनास्थल का निरीक्षण कर घटनास्थल का नक्शा–नजरी तैयार किया गया तथा बाद विवेचना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त आसीन के विरुद्ध धारा–4/25 आयुध अधिनियम के अधीन आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

उक्त आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया एंव अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त न्यायालय में हाजिर आया एवं उसके द्वारा अपनी जमानत कराई गयी।

अभियुक्त को विधिनुसार अन्तर्गत धारा–207 दं०प्र०सं० के अधीन अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयीं।

न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2011 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया तथा अपने विचारण की मांग की।

अभियोजन पक्ष की ओर से केवल एक गवाह को परीक्षित कराया गया है। दिनांक 14.11.2025 को अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया तथा अभियोजन के साक्ष्य के उपरान्त पत्रावली वास्ते बयान अभियुक्त अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० में अग्रसारित की गयी।

दिनांक 09.12.2025 को अभियुक्त आसीन का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्त द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में कथन किया गया है कि मुझसे तमंचा, कारतूस बरामद नहीं हुआ। गवाहान के बयान के संबंध में, गलत गवाही दी है, का कथन किया है। मुकदमा गलत चलना बताया है। सफाई साक्ष्य देने से इनकार करते हुए कथन किया है कि उसे कुछ नहीं कहना है।

तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

न्यायालय द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया।

अभियोजन के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं बहस में किये गये तर्कों के परिपेक्ष्य में न्यायालय को अब यह अवधारित करना है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध धारा–4/25 आयुध अधिनियम के तहत लगाये गये आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं, क्योंकि साक्ष्य विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पर अपने वाद के तथ्यों को साबित करने का प्रथमतः भार होता है। इसी क्रम में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का सम्यक् विष्लेषण विधायिका द्वारा धारा–4/25 आयुध अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के परिपेक्ष्य में किया जाना न्यायोचित होगा।

उक्त प्रावधानों में निहित आवश्यक तत्वों के संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य इस प्रकार है।

उपरोक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से केवल 01 गवाह को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी के अतिरिक्त अभियोजन द्वारा अन्य कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया है। 01 गवाह जो इस प्रकार है–

क्रम सं०	अभियोजन साक्षी सं०	साक्षी का नाम	विवरण
1.	पी०डब्लू०–1	उपनिरीक्षक राजेश कुमार सिंह	चक्षुदर्शी साक्षी

दास्तावेजी साक्ष्य के रूप में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य इस प्रकार हैं–

क्रम सं०	प्रदर्श सं०	प्रदर्श का विवरण	प्रदर्श जिसके द्वारा साबित किया गया
1.		आरोप पत्र	

2.	प्रदर्श क–1	फर्द बरामदगी	पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा राजेश कुमार सिंह
3.		नक्शा–नजरी	
4.		फर्द चालान	
5.		कायमी जी०डी० वापसी	
6.		केस डायरी	

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा राजेश कुमार सिंह एस०आई० द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में यह अभिकथन किया गया है कि "दिनांक 18.02.2010 को मैं बतौर उपनिरीक्षक चौकी उचौलिया थाना पसगवां में तैनात था। इसी दिनांक को मैं हमराही कां० सुनील कुमार, कां० जगदीश व कां०– मुमताज अहमद के साथ चौकी उचौलिया से रवाना होकर तलास वारन्टी अपराधी व रोड गस्त करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग से मोहद्दीनपुर चौराहा पर पहुंचा तो वाहन के जल रही लाइटों की रोशनी में मोहद्दीनपुर चौराहे के दक्षिणी किनारे पर दो व्यक्ति खड़े दिखाई दिये नजदीक जाने पर वह लोग हमारी ओर बढ़े टार्च की रोशनी डाल कर हम लोगों ने रोका व टोका तो भागने का प्रयास किये हम लोगों के द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर करीब 100 कदम की दूरी पर समय करीब 3:40 ए०एम० पर पकड़ लिया। नाम पता व जामा तालीशी लेने पर एक ने अपना नाम गुड्डू उर्फ बलवन्ते पुत्र मुस्तफा निवासी अन्तरवासी थाना पसगवां बताया जिसकी जामातलाशी से पैंट की दाहिनी फेंट से एक 12 बोर देशी तमंचा हुलिया मुताबिक फर्द व पैंट की दाहिनी जेब से दो अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। दूसरे ने अपना नाम आसीन पुत्र अनवर निवासी अन्तरवासी थाना पसगवां बताया, जिसके दाहिने हाथ में लिए तलवार बरामद हुई। दोनों से तमंचा, कारतूस व तलवार रखने का लाइसेंस मांगा गया तो नहीं दिखा सके। जुर्म व धारा से अवगत कराते हुए गिरफ्तार किया गया फर्द मौके पर ही टार्च की रोशनी में मेरे द्वारा लिखी गयी। मुल्जिमों व हमराही साक्षियों के अलामत बनवाये गये तथा फर्द की एक प्रति दी गयी। फर्द शामिल पत्रावली है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया तथा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। विवेचक ने इस सम्बन्ध में मेरे साक्ष्य लिये थे।"

बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जिरह किए जाने पर साक्षी पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा राजेश कुमार सिंह एस०आई० ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "मैं चौकी उचौलिया में फरवरी 2010 से जनवरी 2011 कर तैनात था, मैं पसगवां में तैनात था। घटना वाली शाम को गस्त पर निकला था समय का ध्यान नहीं, मैन हाईवे पर गस्त कर रहा था। मुल्जिमों का गांव राष्ट्रीय राजमार्ग से ढाई से तीन किलोमीटर उत्तर दिशा में है। मैं अन्तरवारी नहीं गया था, क्योंकि वह मेरी चौकी क्षेत्र में था। मुल्जिम मुझे मोहिद्दीनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिले थे। इस चौराहे से अन्तरवारी गांव जाने के लिए रास्ता भी है। मैं गस्त से वापस साढ़े चार व पांच बजे वापस आया था। मैं अपनी मोटर साइकिल से गस्त पर था, मैंने फर्द में अपनी वाहन का हवाला नहीं दिया था। मेरे साथ का० मुमताज अहमद, का० सुनील कुमार, का० जगदीश चौधरी, मैं मोहिद्दीनपुर चौराहा तीन बजे के आसपास पहुंचे थे। अभियुक्तगण किसी साधन से नहीं थे, पुलिस पार्टी देखकर जानकर भागे। चौराहे से लगभग 100–125 मीटर की दूरी पर पकड़ा था। मैंने इन्हें दक्षिण की ओर सोनउआ रोड पर पकड़ा, अभि० आसीन के पास एक तलवार बरामद हुई। तलवार की लं० मुझे ज्ञात नहीं। दूसरे

अभि० के पास से 12 बोर का तमंचा बरामद हुआ था, दो कारतूस 12 बोर जिंदा, कारतूस की पेंदी पर क्या लिखा, मुझे याद नहीं। तमंचा चालू हालत में था। आज बरामदशुदा माल में नहीं लाया हूँ। तमंचे की लं० मुझे ज्ञात नहीं। फर्द मौके पर तैयार की गयी थी। फर्द में जो सामान जो प्रयोग होता है वह सामान मेरे पास था। फर्द मेरी हैण्ड राइटिंग में है। फर्द की कापी मैंने अभियुक्तगण को दी थी। रिपोर्ट मैंने पांच बजे के बाद दर्ज करायी थी। यह कहना गलत है कि मैं अभियुक्तगण को घर से बुलाकर बंद किया था। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण के पास जो बरामदगी दिखाई गई है वह जाली व साजिशी हो, पुलिस ने अपने पास से दिखाई हो।"

दाण्डिक न्याय शास्त्र का पूर्णतया सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध के आवश्यक तथ्यों को विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है और यदि अभियोजन अपने इस दायित्व में विफल रहता है तो इसका लाभ अभियुक्तगण को अवश्य मिलना चाहिए।

न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि–

1. क्या दिनांक 18.02.2010 को समय लगभग 03:40 बजे ए०एम०, स्थान बहद ग्राम सुनौवा मोहद्दीनपुर, थाना–पसगवां, जिला–खीरी में अभियुक्त आसीन को पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर अभियुक्त के पास से एक अदद तलवार नाजायज बरामद हुई थी अथवा नहीं तथा क्या उसे रखने का कोई वैध लाइसेंस अभियुक्त के पास था अथवा नहीं।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का विष्लेषण निम्न प्रकार से किया जा रहा है।

आरोप अन्तर्गत धारा–4/25 आयुध अधिनियम

प्रस्तुत मामले में उपरोक्त आरोपों के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 18.02.2010 को समय लगभग 03:40 बजे ए०एम०, स्थान बहद ग्राम सुनौवा मोहद्दीनपुर, थाना–पसगवां, जिला–खीरी में पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त आसीन को पकड़े जाने पर अभियुक्त के पास से एक अदद तलवार नाजायज बरामद किया जाना बताया गया है, जिसको रखने का वैध लाइसेंस अभियुक्त के पास नहीं था।

उक्त आरोप के संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी श्री राजकुमार सिंह एस०आई० ने अभियोजन कथानक का समर्थन अपनी मुख्य परीक्षा में करते हुए उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर अभियुक्त आसीन को एक अदद तलवार नाजायज के साथ गिरफ्तार किया जाना बताया है तथा नकल फर्द को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है।

अभियोजन की ओर से अभियुक्त आसीन के कब्जे से बरामद एक अदद तलवार नाजायज को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही माल मुकदमाती को फर्द के किसी भी पुलिस कर्मचारी द्वारा साबित किया गया है।

अभियोजन द्वारा आरोपत्र, नक्शा–नजरी, जी०डी० कायमी, जी०डी० वापसी को भी साबित नहीं किया गया है।

यह भी उल्लेखीय है कि अभियुक्त उपरोक्त से तलवार के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु बरामद होना नहीं बताया गया है, जबकि यह संभव नहीं है कि जो व्यक्ति घर से शाम के बख्त निकला हो वह अपने पास स्वयं के इस्तेमाल की कोई वस्तु अथवा पैसा इत्यादि न रखे हुए हो। इस प्रकार स्वतंत्र गवाह के अभाव में बरामदगी प्रक्रिया संदिग्ध प्रतीत होती है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी का कथन यह है कि "दिनांक 18.02.2010 को मैं एस०आई० गजेश कुमार मय हमराही का० 460 सुनील कुमार, का० 517 जगदीश चौधरी व का० 348 मुमताज अहमद के चौकी उचौलिया से रवाना होकर तलाश वारण्टी/वांछित अपराधी व रात्रि रोड गस्त में मामूर होकर राष्ट्रीय राजमार्ग से जैसे ही मोहद्दीनपुर चौराहा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचा तो मोटर साइकिलों तथा आने जाने वाले वाहनों की लाइट की रोशनी में मोहिद्दीनपुर चौराहे के दक्षिणी किनारे पर दो व्यक्ति खड़े दिखाई दिए जिनके नजदीक जाने पर मोटर साइकेलं रोकी तो पहले तो हमराही की तरफ तेजी से बढ़े, परन्तु जैसे ही टार्च की रोशनी डालकर रोका व टोका तो अचानक हम पुलिस वालों को देखकर हड़बड़ा कर पीछे मुड़कर यह कहते हुए कि भागो ये तो पुलिस वाले है। चौराहे से सौनोवा जाने वाली पिंक रोड पर भागे शक होने पर तत्परता से मोटर साइकिलें वहीं छोड़कर हमराहियान की मदद से टार्चों की रोशनी डालते हुए दौड़ाकर व घेर–घार कर पुलिस ट्रेनिंग का फायदा उठाते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर चौराहे से करीब 100 कदम की दूरी पर दोनों व्यक्तियों को समय करीब 03:40AM पर पकड़ लिया गया। इस संबंध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार ही यह स्पष्ट रूप से दर्शित हो रहा है कि पुलिस कर्मचारियों के द्वारा अभियुक्त आसीन को गिरफ्तार किये जाने तथा उसकी जामातलाशी लिये जाने से पूर्व स्वयं पुलिस कर्मचारीगण ने अपने तलाशी नहीं ली तथा यह सुनिश्चित नहीं किया कि उनके पास कोई अवैध हथियार है अथवा नहीं।

इस संबंध में विधि व्यवस्था **Rabindranath prusty v state of orissa 1984 crlj 1392** में यह उल्लिखित है कि one of the formalities that has to be observed in searching a person is that the searching person is that the searching officer and other assisting him should give their personal search to the accused before searching the person of the accused. The rule is to avoid the possibility of implanting the object which was brought out by the search no independent witness had witnessed the search In the above premises, my conclusion is that the search was illegal and consequently the conviction based thereon is also vitated, "चूकि उक्त प्रकरण में पुलिस कर्मचारीगण द्वारा अभियुक्त की तलाशी से पूर्व न तो आपस में जामातलाशी ली गयी और न ही अभियुक्त से तलाशी हेतु कहा गया। इस प्रकार तलाशी प्रक्रिया संदेहास्पद हो जाती है।

निष्कर्ष

पत्रावली पर मौजूद समस्त साक्ष्यों का विश्लेषण करने से न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि:–

1– अभियोजन द्वारा अभियुक्त आसीन के कब्जे से उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर बरामद एक अदद तलवार नाजायज को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही उसे साबित किया गया है।

2– अभियोजन द्वारा जनता का कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया है और न ही यह साबित किया है कि उनके द्वारा स्वतंत्र गवाह बनाये जाने के लिए क्या प्रयास किये गये।

3– अभियोजन द्वारा आरोपत्र, नक्शा–नजरी, जी०डी० कायमी, जी०डी० वापसी को भी साबित नहीं किया गया है।

इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत केवल एक गवाह एस०आई० राजकुमार सिंह के साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो रहे हैं। अभियोजन, अभियुक्त आसीन के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त आसीन पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त आसीन को मु०अ०सं०–254/2010, आरोप अंतर्गत धारा–4/25 आयुध अधिनियम, थाना–पसगवां जिला–लखीमपुर खीरी के दण्डनीय अपराध के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। उसके पूर्व दाखिल जमानतनामें निरस्त कर जामिनदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437 ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में मु० 20,000/–रूपये का निजी बंधपत्र आज ही दाखिल करें तथा समान धनराशि की एक प्रतिभू न्यायालय में दाखिल करें।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अभियुक्त के पास से बरामद माल बाद मियाद अपील, यदि वांछित न हो तो नियमानुसार निस्तारित हों।

दिनांकः 03.06.2026

(रजत प्रकाश सोन)
अपर सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी, खीरी।
(JO Code– UP 3725)

उपरोक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 03.06.2026

(रजत प्रकाश सोन)
अपर सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी, खीरी।
(JO Code– UP 3725)